

तारीख
हुकम

11/4/2020

कील सभी कार्य परन्तुवेन प्रत्येक क्रम हे
अवसर प्राप्त हो गया पाता है दिनांक 8/4/2020
को देखें।

सहायक कलेक्टर
(सिपायल अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ़

8/4/2020

कील सभी कार्य परन्तुवेन प्रत्येक क्रम हे
अवसर प्राप्त हो गया पाता है दिनांक 16/4/2020
को देखें।

सहायक कलेक्टर
(सिपायल अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ़

16/4/2020

सहायक कलेक्टर
(सिपायल अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ़

कील सभी कार्य परन्तुवेन प्रत्येक क्रम हे
कराये। कील सभी कार्य अकाल सिपाही
प्राप्त करने हेतु 10000 रुपये का
शान्त रूप से। बहल 10000 रुपये।
10000 रुपये का शान्त रूप से। अकाल सिपाही
प्रदान की गई। बहल सह पत्र अनिलक
नूरी गई। यह पत्र के अंतर्गत के सिपाही
उल प्राप्त है कि यह संपत्ति आराधना
के करीपा न 113 दिनांक प्रति सही केव्वा 01
न 113 दिनांक एवं केव्वा है। करीपा न 113
केव्वा केव्वा 1 केव्वा एवं दिनांक 113
एव. शान्तादिमान रिता गुलाब कोरेगाना केव्वा
किडप पंपीइत किलेव के रूप ही गई। जो एवं
अनिलक है। व 113 दिनांक केव्वा रिता एवं
शान्ता केव्वा केव्वा किडप एवं दिनांक 2.11.1980 ही
रूप ही गई। रिता करीपा न 213 एवं
दिनांक है व 213 एवं दिनांक पर करीपा न
परन्तु 113 दिनांक पर करीपा न नानाकरण
नही केव्वा। एव. 113 दिनांक ही एवं 113

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

सिद्धांत का प्रतिस्वीकृत किया 01 के अन्त पर
 परिपत्र बनीपत भागान्तर्गत हुला। अतः
 उक्त 1/3 हिस्सा अपने साल पूर्व कर्म
 पाने वाला वह पत्र मान्यत किया है।
 प्रतिस्वीकृत किया 01 काय पत्रान्तर्गत
 मान्यत पर वह पत्र स्वीकार किया जाने का
 निर्देश किया। एतद्विषय पर मन्त्र किया
 पत्रारली का अन्तर्गत किया। प्रत्येक। 1
 के अन्तर्गत से अन्तर्गत के मनीषा काय
 वह सन्ति आशयान्तर्गत से 1/3 हिस्सा स्व
 पत्रान्तर्गत ही के रूप किया व अन्तर्गत किया
 1/2 हिस्से प्रत्येक-2 के अन्तर्गत के अन्तर्गत
 है कि स्व. पत्रान्तर्गत ही अन्तर्गत प्रतिस्वीकृत किया
 01 के पत्र के बनीपत ही कर्म अन्तर्गत भागान्तर्गत
 हुला है अपने प्रतिस्वीकृत किया 01 से मनीषा के
 पत्र के पूर्व कर्म अन्तर्गत अन्तर्गत पाठ्य
 की है। अतः मनीषा का वह पत्र मान्यतान्तर्गत
 के सिद्ध होता है। वह पत्र स्वीकार किया जायत
 मनीषा कपासन 30 55, 30 56, 30 57, 31 81, 31 82
 हुला मनीषा 05 हुला अन्तर्गत 0.58 अन्तर्गत
 के पूर्व अन्तर्गत पुत्र भागान्तर्गत हिस्सा 1/3 अन्तर्गत
 अन्तर्गत के बनाय आनी अन्तर्गत अन्तर्गत
 हिस्सा 1/3 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत किया जाने का अन्तर्गत किया जाता है।
 अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 पत्रारली के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

सहायक अन्तर्गत
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौडगढ़